

कार्यालय तहसीलदार, सदर, जनपद मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या : 04212316460

दिनांक : 28-Sep-2012



प्रमाणित किया जाता है कि जावेद अली
सुपुत्र सफदर हुसैन निवासी/ग्राम हरथला सोनकपुर

परगना तहसील सदर
नगर जिला मुरादाबाद राज्य उत्तर प्रदेश की दर्जी पिछड़ी जाति के व्यक्ति

हैं। यह जाति उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) आरक्षण अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

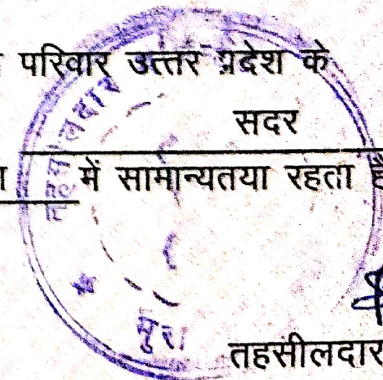
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जावेद अली

पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-2 जैसा कि उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं।

इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

ग्राम हरथला सोनकपुर जावेद अली तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के सदर तहसील
नगर जिला मुरादाबाद राज्य उत्तर प्रदेश में सामान्यतया रहता है।

संयोजकता
IT & COMPUTER



स्थान : सदर
दिनांक : 28-Sep-2012

तहसीलदार, सदर
मुरादाबाद